12/[illegible]	पत्रावली पेश। पक्षकार [illegible] 10/1/20[illegible] को पेश हो।	
1[illegible]	पत्रावली पेश। पक्षकार [illegible] 20/3/18 को पेश हो।	
20/3/18	पत्रावली पेश। पेशकार सरकार उपस्थित। [illegible] 20/3/18 को पेश हो।	
20/3/18	[illegible] 26/3/18 [illegible]	
26/3/18	पत्रावली पेश हुई। पेशकार सरकार उपस्थित हैं। बहस सुनी गई। दौराने बहस पेशकार सरकार द्वारा अर्जीनामा के तथ्यों को देखा। अप्रार्थी अनुपस्थित है। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 5/7/2017 को लोक अदालत में यह स्वीकार किया था, कि वह अन्दर मियाद 1 एक माह उक्त भूमि का विधिवत् संपरिवर्तन करवा लेगा। परन्तु आज दिनांक तक उसके द्वारा कोई तथ्य एवं दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह तय किया जा सके कि उसके द्वारा उपरोक्त वर्णित भूमि का कृषि से इतर प्रयोजनार्थ अर्थात	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गैर कृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवा लिया हो। हस्ब नकल जमाबंदी ग्राम उदपुरा सं० 2070-73 खाता नम्बर 135 पर खसरा नं० 386 व 387 अप्रार्थी के नाम पर दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि की किस्म चाही तृतीय दर्ज है। इस प्रकार यह तय है, कि प्रकरण वर्णित भूमि अप्रार्थी की कृषि भूमि है। हस्ब खसरा गिरदावरी उक्त भूमि पड़त है, तथा खसरा गिरदावरी के कॉलम 17 में ख० नं० 386 व 387 में मोबाईल टावर स्थित होने का नोट अंकित है। नकल नक्शे में भी ख० नं० 386 के रकबा 0.10 तथा 387 के रकबा 0.04 हेक्टर में मोबाईल टावर होने का अंकन लाल स्याही से किया गया है। मौका रिपोर्ट पटवारी दिनांक 5.1.15 में उक्त भूमि पर मोबाईल टावर होने की रिपोर्ट अंकित है। उक्त रिपोर्ट का अप्रार्थी द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार हस्ब दस्तावेजात एवं रिपोर्ट यह तय है, कि प्रकरण वर्णित भूमि वाके माल मौजा उदपुरा प० ह० मोड़क स्टेशन तहसील रामगंजमण्डी ख० नं० 386 व 387 कृषि भूमि है, जिस पर बिना संपरिवर्तन करवाये मोबाईल टावर लगा रखा है। अप्रार्थी द्वारा बिना भूमि को गैर कृषि कार्य में रुपान्तरण करवाये गैर कृषि कार्य किया जा रहा है, जो खातेदार तथा सरकार के मध्य	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता... अहकाम जो हुक्म की ता... में जारी
	हुये शर्त की भंग होने की अवस्था है इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उसके खातेदारी की भूमि पर हानिप्रद कार्य किया जा रहा है अर्थात भूमिधारी द्वारा जिस प्रयोजन हेतु अप्रार्थी को भूमि दी गई है, और अप्रार्थी द्वारा जिस प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग किया जा रहा है, वह शर्त के असंगत है	
	अप्रार्थी को अपने तथ्य रखने तथा भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाने हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये। सम्यक अवसर के उपरान्त भी अप्रार्थी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की और न ही कोई तथ्य ही प्रस्तुत किये गये।	
	अतः प्रक० में अप्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि पर बिना अधिकार के गैर कृषि कार्य किया जा रहा है, इससे भूमि की उर्वरा क्षमता, को नष्ट किया जा रहा है, तथा यह फसल उत्पादन से असंगत कार्य है	
	प्रक० के गुणावगुण पर सम्यक विचार करने के उपरान्त हम यह पाते हैं, कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत	

तारीख व्यवस्था	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विरुद्ध अप्रार्थी प्रमाणित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं, कि ग्राम उदपुरा तहसील रामगंजमण्डी के खसरा नम्बर 386 कुल रकबा 0.20 हे में से 0.10 हेक्टर तथा ख0 नं. 387 रकबा 0.04 हेक्टर कुल किता 2 रकबा 0.14 हेक्टर को सिवाय चक सरकार दर्ज किया जावे। उक्त भूमि पर स्थित निर्माण आदि सहित भूमि को प्रार्थी कब्जे राज लेवें तथा अप्रार्थी को भौतिक रूप से बेदखल करें। किन्तु धारा 178 (2) के प्रावधानों के तहत अप्रार्थी को 90 दिवस का समय दिया जाता है, कि यदि वह उक्त भूमि को वापस कृषि योग्य कर दे या नियमानुसार क्षतिपूर्ति इत्यादि का भुगतान कर दे तो इस आदेश का निष्पादन नहीं किया जावे। निर्णय की एक-एक प्रति प्रार्थी एवं अप्रार्थी को भिजवाई जावे। निर्णय आज दि0 26/3/18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया। ह0 26/3/2018 (कृष्ण गोपाल जोशी) ... अधिकारी	

Scanned by CamScanner